

**न्यायालय—एस.एस. सिसौदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अशोकनगर (म.प्र.)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक —371 / 2010

संस्थापन दिनांक— 26.08.2015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा वन विभाग वन परिक्षेत्र  
ईसागढ़, जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियोजन

**बनाम**

1. लालाराम पिता लक्ष्मण सिंह आयु 70 वर्ष  
व्यवसाय मजदूरी निवासी ग्राम मुढेरी थाना  
ईसागढ़ अशोकनगर म.प्र.
2. रामलाल पिता पूरन आदिवासी उम्र 35 वर्ष  
व्यवसाय मजदूरी निवासी ग्राम मोचार हॉल  
निवासी ग्राम मठया थाना ईसागढ़ अशोकनगर  
म.प्र.
3. गंगाराम पिता पूरन आदिवासी उम्र 40 वर्ष  
व्यवसाय मजदूरी निवासी ग्राम मोचार हॉल  
निवासी ग्राम मठया थाना ईसागढ़ अशोकनगर  
म.प्र.

.....अभियुक्त

—: : **निर्णय** : :—

**(आज दिनांक 12 / 08 / 2017 को घोषित किया गया)**

1— अभियुक्त पर दिनांक 07.09.2009 को आरक्षित वन मुढेरी वनपरिक्षेत्र ईसागढ़ जिला अशोकनगर में वीट आर.एफ. नंबर 9 में वनक्षेत्र की भूमि को साफ कर लकड़ियों से टपरे बनाकर और पत्ते के छप्पर बनाकर अतिक्रमण करने बावत धारा 26 भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत दण्डनीय अपराध करने का आरोप है।

2— अभियोजन मामला इस प्रकार है कि, दिनांक 07.09.2009 को वनाधिकारी एवं कर्मचारी उडनदस्ता प्रभारी वनवृत्त शिवपुरी के साथ सर्वेक्षण के करते हुए ग्राम मुढेरी के कक्ष क्रमांक आरएफ 09 में गए थे वहां आरोपीगण वनभूमि में टपरे बना रखे थे तथा खेती का कार्य कर रहे थे कुल 8 टपरे थे जो लकड़ियों से बनाये गए थे और पत्तों से छप्पर बनाये हुए थे। घटना स्थल पर उपस्थित 3—4 लोग मिले जिन्हें वनभूमि छोड़ने के लिए कहा और समझाकर घटना स्थल पर स्थित टपरों को तोड़कर उखाड़ दिए और टपरों में उपयोग की गई लकड़ियां जप्त कर वनपरिक्षेत्र ईसागढ़ को सुपुर्ग किया गया इन टपरों के अलावा पहाड़ी के किनारे 10—12 टपरे और बने हुए थे जहां पर 4—5 वर्षों से रह रहे थे जो ग्राम मोचार के निवासी हैं

जिन्होंने लगभग 200 बीघा भूमि पर कब्जा कर लिया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध पी. ओ.आर. क्रमांक 223/05 धारा अंतर्गत 26 भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और आवश्यक अनुसंधान उपरांत वनपरिक्षेत्र अधिकारी अशोकनगर की ओर से यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

**3—** अभियुक्तगण को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के अंतर्गत आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उन्होंने उक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप अस्वीकार कर विचारण चाहा तथा अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुये बचाव साक्ष्य नहीं देना प्रकट किया।

**4— प्रकरण के निर्णयार्थ निम्न लिखित विचारणीय बिन्दु हैं :-**

क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 07.09.2009 को ग्राम मुढैनी वीट आर.एफ. नं. 9 वन परिक्षेत्र ईसागढ़ जिला अशोकनगर के क्षेत्राधिकार में वनक्षेत्र की भूमि को साफ कर लकड़ियों से टपरे बनाकर और पत्तों से छाया कर अतिक्रमण किया ?

**—: सकारण निष्कर्ष :-**

**5—** अभियोजन की ओर से देवीचरण सेन अ.सा.—1, बुंदेल सिंह अ.सा. —2, रामप्रताप सिंह अ.सा.—3, सुधीर कुमार श्रीवास्तव अ.सा.—4 एवं सनमान सिंह अ.सा. —5 के कथन करवाये हैं।

**6—** देवीचरण सेन अ.सा.—1 का कथन है कि घटना दिनांक 07.09.2006 को जब वह वीट मुढैरी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था उक्त समय उडनदस्ता आया तब उनके साथ वीट मुढैरी के कक्ष क्रमांक आरएफ9 के अंदर ग्राम मटियाना में गए थे जहां पर लगभग 8 टपरे अवैध रूप से बने हुए थे तब उडनदस्ता दल ने जाकर तलाश किया जहां पर पांच लोग मौके पर मिले थे जिनका नाम लालाराम, रामलाल, गंगाराम, लाखन एवं मानसिंह थे उक्त टपरों में रखा हुआ सामान बाहर रखवाया और मौके पर उक्त टपरों को हटाकर टपरों में प्रयुक्त लकड़िया जप्त की थी और जप्ती पंचनाम प्र.पी.—3 बनाया था ऐसे ही कथन बुंदेल सिंह अ.सा.—2, रामप्रताप अ.सा.—3, सुधीर अ.सा.—4 एवं सनमान सिंह अ.सा.—5 ने भी किए हैं हालांकि उक्त साक्षियों ने अपने कथनों में इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं होना बताया है कि उक्त क्षेत्र में निवास हेतु किसी व्यक्ति को पट्टे दिए गए थे या नहीं। देवीचरण सिंह अ.सा.—1 ने अपने कथनो में बताया है कि ग्राम मोचार के लोगों को पट्टे दिए गए थे किन्तु कक्ष क्रमांक 9 में किसी भी व्यक्ति को पट्टा नहीं दिया गया था। अभिलेख संलग्न दस्तावेजों में ग्राम मुढैरी वीट क्रमांक आर.एफ. 9 आरक्षित वनभूमि होना उल्लेखित है तथा उक्त आरक्षित वनभूमि होने संबंधी साक्षियों के कथनों को अभिखण्डित भी नहीं किया गया है हालांकि बुंदेल सिंह अ.सा.—2 ने

अपने कथनों में बताया है कि ग्राम मोचार एवं मुढेरी के लोगों को पट्टे दिए गए थे किन्तु कक्ष क्रमांक 9 में पट्टे दिए जाने संबंधी कोई कथन नहीं किया है अभियुक्तगण की ओर से रंजिशन झूठा फसाया जाने संबंधी बचाव लिया है किन्तु किन कारणों से रंजिशन है यह स्पष्ट नहीं किया है यदि अभियुक्तगण द्वारा वादग्रस्त वनभूमि पर टपरे का निर्माण नहीं किया या अन्य कोई निर्माण किया गया होता तो निश्चय ही बचाव लिया जाता एवं इस संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते किन्तु ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि घटना स्थल आरक्षित वनभूमि का कक्ष क्रमांक 9 है।

**7—** रामप्रताप सिंह अ.सा.-3 जोकि तत्कालीन वनपाल के पद पर पदस्थ था जिसने घटना के संबंध में यह कथन किया है कि घटना स्थल के आसपास अभियुक्तगण द्वारा 30 एवं 200 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर कृषि कार्य किया जा रहा था ऐसे ही कथन सुधीर कुमार अ.सा.-4 ने भी किए हैं। हालांकि इस संबंधी कोई पंचनामा अभिलेख संलग्न नहीं है ऐसी स्थिति में साक्षियों के कथन अतिशयोक्तिपूर्ण कथित होते हैं किन्तु यह अखण्डनीय तथ्य है कि अभियुक्तगण आरक्षित वनभूमि पर वनभूमि कक्ष क्रमांक 9 में टपरे बना रखे थे परीक्षित सभी साक्षी वनविभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी होकर हितबद्ध हैं किन्तु उनके द्वारा घटनास्थल पर जाकर अभियुक्तगण द्वारा वनभूमि में टपरे निर्माण किए गए थे जिन्हें मिटाया जाकर टपरे में प्रयुक्त लकड़ियां जप्त की गई थी उक्त जप्ती को भी बचाव पक्ष की ओर से अभिखण्डित नहीं किया गया है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत कृष्णा पिल्लई एवं अन्य विरुद्ध केरल राज्य ए.आई.आर. 1981 एससी 1237 अवलोकनीय है जिसमें यह अभिमत दिया गया है कि **“ऐसा कोई प्रकरण नहीं होता है जिसमें इधर उधर की विसंगतियां नहीं हों यदि यह विसंगतियां प्रकरण के मूल तक नहीं जाती हैं तब साक्षीगण के मुख्य घटना के कथन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है”**।

**8—** अभिलेख संलग्न अभियुक्तगण के संयुक्त कथन के अवलोकन से यह प्रकट है कि अभियुक्तगण द्वारा वनभूमि को साफ कर उसमें कृषि की जा रही थी तथा टपरे भी बनाये हुए थे जिन्हें मिटाकर लकड़ियों को जप्त किया गया था उक्त संयुक्त कथन के अनुसार ही अभियोजन साक्षियों द्वारा कथन किए गए हैं हालांकि कृषि भूमि के संबंध में साक्षियों के कथन हुए हैं जिसमें कुछ अंतर है किन्तु इतने सारवान अंतर नहीं कहे जा सकते हैं कि अभियोजन कहानी अविश्वसनीय हो जावे इस प्रकार अभिलेख संलग्न दस्तावेजों एवं साक्षियों के कथनों से अभियोजन कहानी को समर्थन प्राप्त होता है। अतः अभियुक्तगण लालाराम पिता लक्ष्मण सिंह आयु 70 वर्ष निवासी ग्राम मुढेरी, रामलाल पिता पूरन आदिवासी उम्र 35 वर्ष, गंगाराम पिता पूरन आदिवासी उम्र 40 वर्ष निवासीगण ग्राम मोचार हाल मठया थाना ईसागढ़ जिला अशोकनगर को धारा 26 भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

9— दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

**एस.एस. सिसौदिया**  
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी**  
**अशोकनगर (म.प्र.)**

10— दंड के प्रश्न पर सुना गया।

11— अभियुक्तगण की ओर से विद्ववान अभिभाषक श्री सुरेश शर्मा अधिवक्ता ने तर्क में यह निवेदन किया है कि अभियुक्तगण के पास निवास योग्य कोई उपयुक्त अन्य स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण टपरें बना लिए थे तथा शांतिपूर्ण रूप से वहां पर निवास किया शासकीय कार्य या अन्य किसी कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की तथा अभियुक्तगण द्वारा ऐसा कोई पूर्व में अपराध नहीं किया गया अतः अभियुक्तगण को परीवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जावे।

12— प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह प्रकट है कि, अभियुक्तगण द्वारा अपराध की कोई पुर्नावृत्ति की गई हो ऐसा कोई प्रमाण उलब्ध नहीं है इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा किया गया यह प्रथम अपराध होना परीलक्षित होता है किन्तु आरक्षित वनभूमि पर जिस तरह से बिना किसी अनुज्ञप्ति के एवं बिना किसी अधिकार पत्र के वनभूमि पर टपरों का निर्माण किया है उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को परीवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना परीलक्षित नहीं होता है किन्तु विचारण के प्रक्रम पर कुछ अभियुक्तगण को छोड़कर अभियुक्त लालाराम, रामपाल, गंगाराम ने विचारण का नियमित सामना किया है तथा अपराध की पुर्नावृत्ति करने का कोई आशय रहा हो ऐसे कोई तथ्य विद्ववान नहीं है ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को मात्र अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक के दण्ड से दण्डित किए जाने पर ही न्याय की मंशा पूर्ण हो जाती है अतः दोषसिद्ध अपराध धारा 26 भारतीय वन अधिनियम के तहत अभियुक्त लालारामल पिता लक्ष्मण सिंह रामलाल पिता पूरन सिंह एवं गंगाराम पिता पूरन को रूपए 300-300 के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

13— अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में एक-एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

14— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

15— प्रकरण में जप्तशुदा मुददेमाल वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा जप्त किये गये हैं, जो वन परिक्षेत्र अधिकारी के जप्ती पंचनामा के अधीन रहेगी तथा अपील होने की दशा में जप्तशुदा मुददेमाल का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

**16—** आरोपी द्वारा पूर्व में भोगी गई सजा को वर्तमान सजा में मुजरा किये जाने बाबत धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

**17—** आरोपी को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदाय की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं मेरे बोलने पर टंकित किया  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। गया।

एस.एस. सिसौदिया  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
अशोकनगर (म.प्र.)

एस.एस. सिसौदिया  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
अशोकनगर (म.प्र.)